	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	पौष 6, शुक्रवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 27, 2019 *Pausa 6, Friday, Saka 1941–December 27, 2019*	

भाग 4 (ग)

उप- खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशो, उप- विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2019

जी.एस.आर.74 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय (चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 10-घ का संशोधन.- उक्त नियमों के विद्यमान नियम 10-घ के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10-घ. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षाण.- सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजन के लिए **'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग'** वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई,

उसका/उसकी पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की संतानें भी सम्म◌ालित होंगी। आय में समस्त स्रोतो अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय होगी।"।

[सं.एफ.3(2)डीओपी/ए-II/2017]
राज्यपाल के नाम और आदेश से,
जय सिंह,
उप शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, December 24, 2019

G.S.R. 74.-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan, hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service Rules, 2017, namely:-

1. Short title and commencement- (1) These rules may be called the Rajasthan Subordinate Courts (Driver and Class-IV Employees) Service (Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 10-D.- The existing rule 10-D of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**10-D Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

Explanation: For the purpose of this rule '**Economically Weaker Sections'** shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application."

[No. F.3(2)DOP/A-II/2017]
BY ORDER AND IN THE NAME OF THE GOVERNOR
JAI SINGH,
DEPUTY SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.